रजिस्ट्री सं० डी०—(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)-73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 15 SEP 1979

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 18, 1979 (श्रावण 27, 1901)

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 18, 1979 (SRAVANA 27, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	481
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1011
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	721
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	2035
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	2307
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	299
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	6271
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	491
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	91
III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2015
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर, सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	107

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	481
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1011
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	727
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2035
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2307
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	299
PART III—SECTION 1.—Notification issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	6271
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	491
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	91
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2015
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	107

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई, 1979

संकल्प

स० एफ० 6(1)-पी०डी०/79—सर्व साधारण की सूचना के लिए यह घोषणा की जाती है कि वर्ष 1978-79 के दौरान 25,000 रुपये तक की सामान्य भविष्य निधि तथा अन्य उसी प्रकार की निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर (जिनमें जमा की गई तथा निकाली जाने वाली राशियां शामिल हैं) ब्याज की दर 8 प्रतिशत तथा 25,000 रुपये से ऊपर की रकम पर ब्याज की दर 7.5 प्रतिशत वार्षिक होगी। ये दरें पहली अप्रैल, 1979 से आरम्भ होने वाली वित्तीय वर्ष के दौरान लागू रहेंगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं :—

1. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं)
2. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)
3. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)
4. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि
5. भारतीय आयुद्ध विभाग भविष्य निधि
6. अन्य विविध भविष्य निधि (रक्षा)
7. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि
8. सशस्त्र सेना अधिकारी भविष्य निधि
9. भारतीय आयुद्ध निर्माण कामगार भविष्य निधि
10. अंशदायी भविष्य निधि (रक्षा)
11. भारतीय नौ सेना गोदी कामगार भविष्य निधि

2. इसके अतिरिक्त, अभिदाताओं को उस स्थिति में अगर उन्होंने पहली अप्रैल, 1975 से लेकर पांच वर्षों में अपने भविष्य निधि के खाते से कोई रकम नहीं निकाली है तो उनकी सम्पूर्ण शेष रकमों पर एक प्रतिशत की दर से बोनस दिया जायगा।

3. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा अपने नियन्त्रण के अधीन विभिन्न भविष्य निधियों की शेष जमा रकमों पर संबंधित वर्ष के दौरान लागू ब्याज की दरों के बारे में आवश्यक आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

4. आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाय।

मंगल दास पाल, उप सचिव

पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 1979

आदेश

विषय :—बी-51, संरचना के 193·5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति

स० 12012/23/78—प्रोडक्शन:—पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उप नियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून (जिसको बाद में आयोग कहा जायगा) के बी-51 संरचना (अपतटीय) के 193.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पैट्रोलियम मिलने की सभावना हेतु एक पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 6-10-78 से एक वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिये गये हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पैट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाए गए तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी :—

(i) समस्त अशोधित तेल तथा कैसिंग हैड कंडेन्सेट पर 42/- रु० प्रति मीट्रिक टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पैट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जायगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, कैसिंग हैड कंडैंसेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(ङ) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 की आवश्यकता के अनुसार आयोग 6000/- रुपये की धनराशि प्रति भूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रति वर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी।

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिये	4 रुपये
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिये	20 रुपये
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिये	100 रुपये
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिये	200 रुपये और
5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए	300 रुपये।

(छ) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम II के उप नियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिये ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(य) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियन्त्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।

(ट) पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिये व्यवहार्य होगा।

बी-51 संरचना के लिए अनुसूची-क

इस पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के अन्तर्गत बी-51 संरचना का क्षेत्र आता है और जो अक्षांश 18° 51′ 49″ दक्षिण से उत्तर तक तथा देशान्तर 72° 9′ 17″ पूर्व पश्चिम से 72° 22′ 00″ पूर्व के बीच है और मानचित्र में किनारे के प्वाइंटों अर्थात् ए, बी, सी, डी और ई को मिलाते हुए चिन्हित किया गया है तथा इसका क्षेत्रफल 193·50 वर्ग किलो मीटर है।

2. यह क्षेत्र जहां पर स्थित है उसके प्वाइंट जिन अक्षांश और देशान्तरों पर पड़ते हैं तथा उनके बीच की दूरी निम्नलिखित है:—

बेयरिंग	अक्षांश			देशान्तर		
	डि०	मि०	सै०	डि०	मि०	सै०
1. प्वाइंट ए है	19	10	00	72	9	17
2. प्वाइंट बी है	19	59	40	72	22	00
3. प्वाइंट सी है	18	51	49	72	21	15
4. प्वाइंट डी है	18	54	20	72	17	9
5. प्वाइंट ई है	19	5	32	72	17	9

3. भूमि पर दो स्थानों से सब से दूर के प्वाइंट की औसत लगभग दूरी निम्नलिखित है:—

1. बम्बई—बी—51 = 54·00 कि० मी०

2. अलीबाग—बी—51 — 67.50 कि० मी०

3. मुरुद—बी—51 = 98.25 कि० मी०

अनुसूची-ख

अशोधित तेल, कैसिंग हैड कंडेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक विवरण

बी-51 संरचना के लिये पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल 193.5 वर्ग किलोमीटर

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये लीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ख) कैसिंग हैड कंडेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल किलो लीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाए किलो लीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये किलो लीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 घटाकर प्राप्त किलो लीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ग) प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाए गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री ································ सत्य निष्ठा पूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठ से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर———————————

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम।

एम० एम० वाई० नदीम, अवर सचिव

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 1979

आदेश

विषय—औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थायी समिति—एक उप-समिति का गठन ।

सं० 6(5)/79-आई० सी० सी०—उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती आभा माईति की अध्यक्षता में 16-11-78 को हुई औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थायी समिति की प्रथम बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसरण में भारत सरकार ने निम्नलिखित सदस्यों को मिला कर एक उप-समिति स्थापित करने का निर्णय किया है :—

1. श्री आर० श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव, औ० वि० विभाग ।	अध्यक्ष
2. सहकारी समितियों के पंजीयक, राजस्थान अथवा उनका प्रतिनिधि ।	सदस्य
3. सहकारी समितियों के पंजीयक, महाराष्ट्र अथवा उनका प्रतिनिधि ।	सदस्य
4. सहकारी समितियों के पंजीयक, तमिलनाडु अथवा उनका प्रतिनिधि ।	सदस्य
5. सहकारी समितियों के पंजीयक उत्तर प्रदेश अथवा उनका प्रतिनिधि ।	सदस्य
6. श्री जी० बी० मोहन, उप सचिव, औद्योगिक विकास विभाग ।	सदस्य-सचिव

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :

1. कुछ सफल तथा असफल सहकारी समितियों के कार्यकरण का आद्योपान्त तथा गहराई से अध्ययन करना ताकि सफलता तथा असफलता के कारणों का पता लगाया जा सके ।

2. विद्यमान औद्योगिक सहकारिता क्षेत्र की कमियों को दूर करने के लिये उपचारात्मक अभ्युपाय सुझाना ।

3. उन क्षेत्रों का पता लगाना जहां औद्योगिक सहकारी समितियां सफल हो सकती है तथा उन क्षेत्रों में सहकारी समितियों के विकास के लिये अभ्युपाय तथा मार्गदर्शी सिद्धान्त सुझाना ।

उप-समिति छः मास के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ।

आर० श्रीनिवासन संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 1979

संकल्प

सं० 02012/4/76-नमक—नमक उद्योग की समस्याओं की व्यापक समीक्षा करने तथा इसके विकास के लिये उचित अभ्युपाय सुझाने हेतु भारत सरकार ने उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के संकल्प सं० 02012/4/76-नमक दिनांक 30 नवम्बर, 1978 द्वारा उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती आभा माईति की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की थी, जिसमें दिनांक 25 जनवरी, 1979 तथा 21 अप्रैल, 1979 के संकल्प सं० 02012/4/76-नमक द्वारा संशोधन किया गया था ।

2 भारत सरकार ने अब श्री आई० महादेवन के स्थान पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य के रूप में श्री मनीष वहल, संयुक्त सचिव, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग को नियुक्त करने का निर्णय लिया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों सहित भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को इस संकल्प की एक प्रति भेजी जाए ।

2 यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

मनीष वहल, संयुक्त सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 1979

संकल्प

सं० 33012/3/79-Econ Py.—सरकारी उपक्रमों से संबंधित संसदीय समिति ने "भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड" से सम्बद्ध अपनी 33वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की है "कि तम्बाकू की खेती की लागत के परिकलन, जो आयोग (कृषि मूल्य) की सिफारिश का आधार बनता है, की पूर्णतः जांच-पड़ताल की जानी चाहिये ।" इस सिफारिश के अनुसरण में एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय किया गया है जो निम्न पैरा 3 में दिये गए विचारार्थ विषयों के अनुसार लागत के अनुमानों की जांच करेगी ।

2. विशेषज्ञ समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा :—

1. डा० दारोगा सिंह, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान सांख्यिकी, नई दिल्ली ।	अध्यक्ष
2. श्री एच० एल० चावला अर्थ और सांख्यिकी सलाहकार,	सदस्य
3. डा० ए० एस० काहलों, अध्यक्ष, कृषि मूल्य आयोग ।	सदस्य
4. डा० एन० सी० गोपालाचारी, निदेशक, केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री ।	सदस्य
5. अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड लक्ष्मीपुरम, गुन्टूर-522007 ।	सदस्य
6. श्री राघवेन्द्र, कृषि निदेशक, हैदराबाद, (आंध्र प्रदेश)	सदस्य
7. श्री वाई० चन्द्रशेखर, कृषि निदेशक, बंगलौर (कर्नाटक)	सदस्य
8. श्री ए० के० भट्टाचार्य, अतिरिक्त, अर्थ और सांख्यिकी सलाहकार ।	सदस्य
9 डा० डब्ल्यू० जी० बालुंजकर, निदेशक, तम्बाकू विकास निदेशकालय, मद्रास ।	सदस्य

10. श्री आर० संगीथाराव, विशेष कार्य अधिकारी, अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय। — सदस्य-सचिव

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत् होंगे :—

(1) सरकारी उपक्रमों से सम्बन्धित समिति द्वारा जूट से सम्बद्ध अपनी 8वीं रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों को दृष्टि में रखते हुए भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा तम्बाकू खरीद (1978-79) के सम्बन्ध में अपनी 34वीं रिपोर्ट में दी हुई टिप्पणी को दृष्टि में रखते हुए कार्यवाही के बारे में सुझाव देना;

(2) वी० एफ० सी० तम्बाकू की खेती की लागत का अध्ययन करने में अपनाई गई रूपरेखा तथा कार्य-पद्धति की जांच-पड़ताल करना;

(3) लागत संरचना के कार्य क्षेत्र और संघटकों की जांच-पड़ताल करना,

(4) क्षेत्रीय स्तर पर आंकड़े इकट्ठे करने और उनकी संवीक्षा तथा परिसंस्करण के प्रबन्धों की जांच-पड़ताल करना,

(5) कृषि मूल्य आयोग द्वारा और तम्बाकू विकास बोर्ड द्वारा वी० एफ० सी० तम्बाकू के मूल्यों के सम्बन्ध में सिफारिशें तैयार करने के आधार पर की जांच-पड़ताल करना।

4. समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

5. समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार होती रहेंगी।

6. समिति को अपेक्षित सचिवालय संबंधी सहायता कृषि विभाग (अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय) द्वारा प्रदान की जाएगी।

7 यदि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समिति के कार्य के संबंध में दिल्ली से बाहर किसी दौरे आदि पर जाना पड़े तो यात्रा भत्ते महंगाई भत्ते का व्यय भारत सरकार के कृषि विभाग (अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय) द्वारा वहन किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों, योजना आयोग मन्त्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के महा-नियन्त्रक और लेखापरीक्षक, तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सभी सदस्य, कृषि और सिंचाई मंत्रालय के सभी संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय, कृषि विभाग और अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालय के सभी अधिकारी, भारतीय कृषि अनु-संधान परिषद् के महानिदेशक और सचिव (खेयर), अध्यक्ष और सदस्य सचिव, कृषि मूल्य आयोग और निदेशक (सार्वजनिक सम्पर्क) को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम० एस० स्वामीनाथन, सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 1979

संकल्प

सं० 12-2/78-एफ०आर० वाई०-I—भारत सरकार ने इस मंत्रालय के संकल्प सं० 12-4/59-एफ०, दिनांक 4 नवम्बर, 1961 के अनुसार गठित, जिसे संकल्प सं० 12-2/78-एफ० आर० वाई०-I, दिनांक 12 अप्रैल, 1978 तथा 12-5/77-एफ० आर० वाई०-I, दिनांक 20 अक्तूबर, 1978 द्वारा संशोधित किया गया है, वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय, देहरादून के कोर्ट तथा इसकी कार्यकारी परिषद् के वर्तमान सदस्य के अतिरिक्त निम्न-लिखित व्यक्तियों को कोर्ट तथा परिषद का सदस्य नियुक्त करने का निर्णय किया है :—

1. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का कृषि वानिकी से सम्बद्ध एक प्रतिनिधि।

2. पर्यावरण योजना तथा समन्वय सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष अथवा उनका नामित व्यक्ति।

3. शिक्षा मंत्रालय में प्रौढ़ शिक्षा तथा एन० एस० एस० के प्रभारी संयुक्त सचिव।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा सभी राज्य सरकारों व संघ राज्य क्षेत्रों योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक और वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय, देहरादून के कोर्ट व इसकी कार्यकारी परिषद् के सभी सदस्यों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

एन० डी० जयाल, संयुक्त सचिव

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 1979

सं० एफ० 1-40/77-पी० एन०-1—पोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1960 की धारा 12 और 12क के अन्तर्गत शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित, शैक्षिक आयोजकों तथा प्रशासकों के लिये राष्ट्रीय स्टाफ कालेज का नाम बदलकर अब 31 मई, 1979 से राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान रख दिया गया है।

सं० एफ० 1-40/77-पी० एन०-1—राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान के नियम 6(2) (क) के अन्तर्गत भारत सरकार ने प्रो० डी० टी० लक्कड़वाला, उपाध्यक्ष, योजना आयोग को 1 जुलाई, 1979 से तीन वर्ष की अवधि के लिये राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नामजद किया है।

देवव्रत सेन गुप्त, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 27th July 1979

RESOLUTION

No. F.6(1)-PD/79.—It is announced for general information that accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds upto Rs. 25,000/- (inclusive of deposits and withdrawals) during the year 1979-80 will carry interest at the rate of 8% (eight per cent) per annum and the interest rate of 7.5% (seven and half per cent) per annum will apply to sums in excess of Rs. 25,000/-. These rates will be in force during the financial year beginning on 1-4-1979. The funds concerned are :—

1. The General Provident Fund (Central Services)
2. The General Provident Fund (Defence Services)
3. The Contributory Provident Fund (India)
4. The All India Services Provident Fund.
5. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
6. Other Miscellaneous Provident Fund (Defence)
7. The Defence Services Officers Provident Fund.
8. The Armed Forces Personnel Provident Fund.
9. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
10. The Contributory Provident Fund (Defence)
11. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.

2. In addition, incentive bonus will be admissible to the subscribers at the rate of one per cent on the entire balance at their credit in case they have not withdrawn any amount from their provident fund account during the preceding five years commencing from 1st April, 1975.

3. Necessary instructions will be issued separately by the Ministry of Railways (Railway Board) concerning the rates of interest applicable during the year, in questoin, to the balances in the various Provident Funds under the control of that Ministry.

4. Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

M. D. PAL, Dy. Secy

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF PETROLEUM)

New Delhi, the 27th July 1979

ORDER

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence for B-51 Structure area measuring 193.5 Sq. Kms.

No. 12012/23/78-Prod.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil & Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for one year from 6-10-1978 in B-51 Structure (off-shore) area measuring 193.5 Sq. Kms. the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 42/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Department of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the preceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence; and

(v) Rs. 300/- for the first and second years of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of rule 11 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration Licence shall be subject to the provisions of the Oil fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

Schedule—A for B—51 Structure

The area covered by this Petroleum Exploration licence falls in B-51 structure off-shore area and lies between latitudes 18° 51′ 49″ South to North and longitudes 72° 9′ 17″ West to 72° 22′ 00″ to East and is delineated on the map by the line joining the Corner Points ABCD and E and measures 193·5 sq. Kms. in area.

2. The latitudes and longitudes on which the points covering the area fall and the distances in between there are as follows :—

Bearing

	Latitudes			Longitudes		
	Deg.	Min.	Sec.	Deg.	Min.	Sec.
1. Point A is at .	19	10	00	72	9	17
2. Point B is at . .	19	59	40	72	22	00
3. Point C is at .	18	51	49	72	21	15
4. Point D is at .	18	54	20	72	17	9
5. Point E is at .	19	5	32	72	17	9

3. The Approximate distances of farthest Point from three Prominent places on the coast are as follows:—

1. Bombay——B 51 . . . . . .= 54·00 kms.
2. Alibag—— " . . . . . .=67·50 kms.
3. Murud—— " . . . . . .=98·25 kms.

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for B-51 structure
Area measuring 193·5 Sq. Kms.
Month and Year

A Crude Oil

Total No. of Kilolitres obtained.	No. of Kilolitres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Kilolitres used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government.	No. of Kilolitres obtained less columns 2 and 3	REMARKS
1.	2.	3.	4.	5.

B—Casing head condensate

Total number of Kilolitres obtained.	No. of Kilolitres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No of Kilolitres used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government.	No. of Kilolitres obtained less columns 2 & 3	REMARKS
1.	2.	3.	4.	5.

C—Natural Gas

Total number of cubic-metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir.	Number of Cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government.	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	REMARKS
1.	2.	3.	4.	5.

I, Shri———————————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

By order and in the name of the President of India.

S. N. Y. NADEEM, Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 18th June 1979

ORDER

Subject :— Standing Committee on Industrial Cooperatives— Formation of a Sub-Committee.

No. 6(5)/79-ICC.—In accordance with the decision taken in the first meeting of the Standing Committee on Industrial Cooperatives held on 16-11-78 under the Chairmanship of Smt. Abha Maiti, Minister of State in the Ministry of Industry, the Government of India have decided to set up a Sub Committee containing the following members :—

Chairman

1. Shri R. Srinivasan,
Joint Secretary,
Department of Industrial Development.

Members

2. The Registrar of Cooperatives,
Rajasthan or his Representative.

3. The Registrar of Cooperatives, Maharashtra or his Representative.

4. The Registrar of Cooperatives, Tamil Nadu or his Representative.

5. The Registrar of Cooperatives,
U.P. or his Representative.

Member-Secretary

6. Shri G. V. Mohan,
Deputy Secretary,
Department of Industrial Development.

The terms of reference of the Committee will be :—

1. To conduct a thorough and in-depth study into the working of some of the successful as well as unsuccessful cooperatives in order to find out reasons for success/failure.

2. To suggest remedial measures for removing deficiencies in existing Industrial Cooperatives Sector.

3. To identify areas where Industrial Cooperatives can succeed and to suggest the measures and guidelines for the development of the Cooperatives in these areas.

The Sub-committee will submit its report within six months.

R. SRINIVASAN, Jt. Secy.

New Delhi, the 30th July 1979

RESOLUTION

No. 02012/4/76-Salt.—A high-level Committee under the Chairmanship of Smt. Abha Maiti, Minister of State for Industry was constituted by the Government of India to undertake a comprehensive review of the problems facing Salt industry and to suggest suitable measures for the development of the salt industry vide Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Resolution No. 02012/4/76-Salt dated 30th November, 1979 as amended by Resolution No. 02012/4/76-Salt dated 25th January, 1979, and Resolution No. 02012/4/76-Salt dated the 21st April, 1979.

2. Government of India have now decided to appoint Shri Manish Bahl, Joint Secretary, Ministry of Industry, Department of Industrial Development, as a member of the high-level Committee, *vice* Shri I. Mahadevan.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of Government of India including Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office and all the State Governments/Union Territories.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MANISH BAHL, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 27th July 1979

RESOLUTION

No. 33012/3/79 Econ.Py.—The Parliamentry Committee on Public Undertakings have in their 34th Report on "Purchase of Tobacco by the State Trading Corporation of India Limited", recommended "that the calculations of the cost of cultivation of tobacco which formed the basis for recommendation of the (Agricultural Prices) Commission, should be thoroughly checked". In pursuance of this recommendation it has been decided to constitute a Technical Expert Committee to examine the cost estimates as per the terms of reference given in para 3 below.

2. The composition of the Expert Committee will be as under :—

Chairman

1. Dr. Daroga Singh,
Director,
Indian Agricultural Research
Statistics, New Delhi.

Members

2. Shri H. L. Chawla,
Economic & Statistical Adviser.

3. Dr. A. S. Kahlon,
Chairman,
Agricultural Prices Commission.

4. Dr. N. C. Gopalachari,
Director,
Central Tobacco Research Institute,
Rajahmundry.

5. Chairman,
Tobacco Board, Lakshmipuram,
Guntur-522 007.

6. Shri Raghvendra Rao,
Director of Agriculture,
Hyderabad, Andhra Pradesh.

7. Shri V. Chandrashekhar,
Director of Agriculture,
Bangalore, Karnataka.

8. Shri A. K. Bhattacharya,
Additional Economic &
Statistical Adviser.

9. Dr. W. G. Walunjkar,
Directorate of Tobacco Development, Madras.

Member Secretary

10. Shri R. Sangeetha Rao,
Officer on Special Duty,
Directorate of Economics &
Statistics.

3. The terms of reference of the Committee shall be as under : —

(i) to suggest action in the light of the comments made by the Committee on Public Undertakings in its 34th Report on 'Purchase of Tobacco by the State Trading Corporation of India Ltd. (1978-79)' in the light of observations made in their 8th Report (1977-78) on Jute;

(ii) to examine the design and methodology adopted in the study of cost of cultivation of V.F.C. Tobacco;

(iii) to examine the scope and components of the cost structure;

(iv) to examine the arrangements for collection of data at the field level and their scrutiny and processing; and

(v) to examine the basis for formulating the recommendations on prices of V.F.C. Tobacco by the Agricultural Prices Commission and by the Tobacco Development Board.

4. The Committee shall submit its report within two months of the issue of this notification.

5. The Committee will meet as often as necessary.

6. Necessary Secretariat assistance to the Committee will be provided by the Department of Agriculture (Directorate of Economics & Statistics).

7. T.A./D.A. in respect of non-official members of the Committee for their tours, etc., if any, outside Delhi, in connection with the work of the Committee, will be borne by the Government of India in the Department of Agriculture (Directorate of Economics & Statistics).

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India, all the State Governments and Union Territories, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, President's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, all members of the Technical Experts Committee, all attached and subordinate offices of the Ministry of Agriculture & Irrigation, all officers of the Department of Agriculture and Directorate of Economics & Statistics, Director General, Indian Council of Agricultural Research & Secretary (DARE), Chairman and Member Secretary, Agricultural Prices Commission and Director (Public Relations).

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. S. SWAMINATHAN, Secy.

New Delhi, the 27th July 1979

RESOLUTION

No. 12-2/78-FRY-I.—Government of India have decided to appoint, in addition to the existing members, the following persons as members of the Court of the Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun, and of its Executive Council, constituted, *vide* this Ministry's Resolution No. 12-4/59-F, dated the 4th November, 1961 as amended vide Resolutions No. 12-2/78-FRY-I dated the 12th April, 1978 and No. 12-5/77-FRY-I, dated the 20th October, 1978.

1. A representative of the Director General, Indian Council of Agricultural Research, dealing with Agro-Forestry.
2. Chairman of the National Committee on Environmental Planning and Coordination or his nominee.
3. Joint Secretary-in-Charge of Adult Education & NSS in the Education Ministry.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories and all Ministries of Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, and all members of the Court of the Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun and its Executive Council.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. D. JAYAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi-110001, the 5th July 1979

No. F. 1-40/77-PN.1.—Under Section 12 and 12A of the Societies Registration Act 1960, the National Staff College for Educational Planners & Administrators, an autonomous organisation under the Ministry of Education & Social Welfare, Government of India, stands renamed as the National Institute of Educational Planning and Administration with effect from 31st May, 1979.

No. F. 1-40/77-PN.1.—Under Rules 6(2)(a) of the National Institute of Educational Planning and Administration, Prof. D. T. Lakdawala, Deputy Chairman, Planning Commission, has been nominated by the Government of India as the President of the National Institute of Educational Planning and Administration for three years with effect from 1st July, 1979.

D. SENGUPTA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1979